तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ...
	छब्बूलाल बनाम सरकार (13) क्र० 206/2023	
23/1	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 22-1-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
22/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 1/2/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
1/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 14/3/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
14/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 28/3/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
28 3/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/5/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
16 5/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील को सुना गया, वादी आदेश दिनांक 23-5-24 को पेश हो।	
23 5/24	पत्रावली पेश हुई। ... 2 बार तामील होने के बाद भी ... Exparte की जाती है, तहसीलदार ... व सब पत्रावली का ... की पत्रावली / रिपोर्ट पर ... की गई। निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल है। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी व ... कार्यपालक मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बसवा
जिला –दौसा

प्रकरण संख्या :–2063
प्रकरण रज्जु दिनांक :–18.7.2023
निर्णय दिनांक :–23.5.2024

उनवान

झब्बूलाल पुत्र कंहैयालाल जाति मीना निवासी कालेड तहसील बसवा जिला–दौसा

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर/भू.अ.अधि.) बसवा तह.बसवा
2.यूको बैंक शाखा बसवा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बसवा जिला–दौसा

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री विरेन्द्रसिंह कुशवाह

–: आदेश दुरस्ती हेतु :– दिनांक : 23.5.2024

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी झब्बूलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते पिता के नाम में दुरस्ती हेतु जरिये एडवोकेट श्री विरेन्द्रसिंह कुशवाह के न्यायालय हाजा में दिनांक 18.7. 2024 को पेश किया गया । मुताबिक प्रार्थना पत्र दुरस्ती में अंकन किया है कि ग्राम कालेड के 3 खातों में यथा–खाता संख्या 35 के खसरा नंबर 466 रकबा 0.28 हैक्टयर, 209 रकबा 0.09 हैक्टयर, 904 रकबा 0.30 हैक्टयर, 951 रकबा 0.80 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 हैक्टयर, खाता संख्या 32 खसरा नंबर 452 रकबा 0.04 हैक्टयर, एवं खाता संख्या 31 खसरा नंबर 461 रकबा 0.05 हैक्टयर में प्रार्थी का नाम झब्बूलाल/झब्बू पुत्र कान्या दर्ज राजस्व रिकोर्ड है, जबकि सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पीपीओ आदेश, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, विद्युत बिल, पैन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम झब्बूलाल पुत्र कंहैयालाल दर्ज रिकोर्ड है । अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड यथा ग्राम कालेड के 3 खातों में यथा–खाता संख्या 35 ,खाता संख्या 32 एवं खाता संख्या 31 प्रार्थी का नाम झब्बूलाल पुत्र कंहैयालाल दर्ज रिकोर्ड किया जावे ।

प्रकरण प्राप्त होने पर हमने अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपसिथत नहीं आने से, अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एक्स–पार्टे की जाती है । अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बसवा द्वारा जवाब पेश करते हुए केवल वर्तमान राजस्व रिकोर्ड की स्थिति के आरे में जानकारी मुहैया करवाई ।

प्रार्थी झब्बूलाल द्वारा प्रा.पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज प्रति यथा – सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1968 नामांक 66374, एसबीआई बैंक खाता संख्या 61097094298, आधार कार्ड प्रति 393291269096, आयकर विभाग पैन कार्ड संबर ACSPM8559L, भारतीय निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या RJ/07/05/354619, विद्युत विभाग बिल का अवलोकन किया जिनके मुताबिक प्रार्थी का नाम झब्बूलाल पुत्र कंहैयालाल दर्ज है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:02 IST
Reason: Self Attested

सरपंच ग्राम जावली का बाढ, पंचायत समिति बसवा द्वारा दिनांक 18.5.2024 का एक पत्र जो कि अधोहरताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया गया अवलोकन किया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि झब्बू लाल पुत्र श्री कंहैयालाल जाति मीना निवासी कालेड तहसील बसवा जिला–दौसा का मूल निवासी है, राजस्व रिकोर्ड में भूल से झब्बू पुत्र कान्या दर्ज हो गया है । झब्बू पुत्र कान्या व झब्बूलाल पुत्र कंहैयालाल एक ही व्यक्ति के नाम हैं, राजस्व रिकोर्ड में किसी कारण बस नाम दर्ज से झब्बू पुत्र कान्या है, इसे झब्बू लाल पुत्र कंहैयालाल किया जावे तो इसमें ग्राम पंचायत जावली का बाढ को कोई आपत्ति नहीं है ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

संपूर्ण परिवाद का अवलोकन करने के उपरांत निम्न प्रकार संशोधन राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में करने के आदेश राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु आदेश प्रसारित किये जाते हैं ।

वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रविष्टि			इस आदेश के द्वारा इस प्रविष्ठि में जो संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं		
राजस्व ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्ठि जिसे दुरस्त करना है	राजस्व ग्राम	खाता सं.	इस आदेश के उपरात इस प्रविष्ठि को संशोधित किया जाना है ।
1	2	3	4	5	6
कालेड	खाता संख्या 35 खाता संख्या 32 खाता संख्या 31	झब्बूलाल / झब्बू पुत्र कान्या	कालेड	खाता संख्या 35 खाता संख्या 32 खाता संख्या 31	झब्बूलाल पुत्र कंहैयालाल

अतः वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रविष्ठि को कॉलम संख्या 6 में संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश एतदद्वारा राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदान किये जाते हैं । इस आदेश द्वारा केवल खातेदार के नाम व पिता के नाम में ही संशोधन किया गया है, शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे । तहसीलदार, बसवा को इस दुरस्ती आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में संशोधन करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नंबर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी,बसवा
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.06.03 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested